

4465



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 204]

नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 1, 1982/आषाढ़ 10, 1904

No. 204]

NEW DELHI, THURSDAY, JULY 1, 1982/ASADHA 10, 1904

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

विवेशी कर प्रभाग

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 1982

आय-कर

समाजवादी जन लीबियारी अरब जनहारिया

तथा

भारतीय गणराज्य की सरकार

के बीच

आयकर पर करो के सम्बन्ध में दोहरे कराधान के
परिहार और राजस्व अयवसन को रोकने के लिए

अभिसमय

समाजवादी जन लीबियारी अरब जनहारिया सरकार और भारतीय
गणराज्य की सरकार, आय पर करो के संबंध में दोहरे कराधान के परि-
हार के लिए एक दूसरे के साथ कटार समझ करने की इच्छा में नौ
दिवसों वाली पर महसूस हुई है --

अध्याय 1

अभिसमय का क्षेत्र

अनुच्छेद 1

अभिसमय के अन्तर्गत आने वाले कर

1 यह अभिसमय प्रत्येक सविकाचारी राज्य अथवा स्वायत्त प्राधि-
करण की आर में आय पर लगाये जाने वाले करो के मामले में लागू
होगा फिर चाहे वे कर कितनी भी प्रकार से लगाये जाते हों।

सं० 484(अ) — आय पर करो के समाप्त होने का प्रस्ताव
और राजवित्तीय अयवसन के निवारण के लिए माणाहक
अधिसूचना और भारत गणराज्य की सरकार के बीच
गठन कर दिया गया है और उक्त कवचना
समय-समय लिखनी या आदान-प्रदान

1951 का 43)

4 (1961

का 43

1 ये

2. उन्हें ध्राय पर लगने वाले करों, कुल ध्राय पर लगने वाले सभी करों, अथवा ध्राय के तत्काल पर लगने वाले करों के रूप में समझा जायगा।

3. यह अभिसमय धिन वर्तमान करों पर लागू होगा वे हैं :

- (क) समाजवादी जन लीधियाशी अरब जमहारिया के मामले में
- (i) वास्तविक सम्पदा राजस्व कर
 - (ii) कृषि राजस्व कर
 - (iii) वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक लाभों पर कर, जिनमें—
 - (क) वाणिज्यिक, औद्योगिक और व्यावसायिक किया-कलापों से प्राप्त लाभों पर कर
 - (ख) कम्पनियों पर कर शामिल हैं।
 - (iv) फीस वाले व्यवसाय करने से प्राप्त लाभों पर कर।
 - (v) मजूरी, वेतन और इसी तरह की अन्य सबों पर कर।
 - (vi) विदेशों में प्राप्त ध्राय पर कर
 - (vii) ध्राय पर सामान्य कर
 - (viii) अल-विहाद कर (रक्षा कर)
 - (ix) बैंकों और बचत खातों में धन जमा करने से उत्पन्न ध्राय

(ख) भारत गणराज्य के मामले में—

- (i) अत्यकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला अत्यकर जिनमें उन पर लगाया जाने वाला कोई अधिभार भी शामिल है;
- (ii) कम्पनी (लाभ) अतिकर अधिनियम, 1964 (1964 का 7) के अन्तर्गत लगाया जाने वाला अतिकर।

4. अभिसमय किन्हीं समरूप अथवा मारत. वैसे ही करों पर भी लागू होगा जो बाद में वर्तमान करों के अतिरिक्त, अथवा उनके स्थान पर, लगाये जाते हों। प्रत्येक वर्ष के अन्त में, सविधाकारी राज्यों के सक्षम प्राधिकारी अपने-अपने कराधान कानूनों में किए गए किन्हीं परिवर्तनों के सम्बन्ध में एक दूसरे को अविसूचित करेंगे।

अध्याय 2

परिभाषाएं

अनुच्छेद 2

सामान्य परिभाषाएं

1. इस अभिसमय में, जब तक संदर्भ में अथवा अपेक्षित नहीं हो :

- (क) 'एक सविधाकारी राज्य' और 'दूसरे सविधाकारी राज्य' शब्दों से संदर्भ की अपेक्षा के अनुसार, 'भारत' अथवा 'लीधिया' अभिप्रेत है;
- (ख) 'व्यक्ति' शब्द में कोई व्यक्ति, एक कम्पनी और गणितियों का कोई अन्य निकाय सम्मिलित है;
- (ग) कम्पनी शब्द से कोई ऐसा निर्दिष्ट निकाय अथवा कोई इकाई अभिप्रेत है जो कर प्रयोजनों के लिए निर्दिष्ट निकाय के रूप में मानी जाती है;
- (घ) 'एक सविधाकारी राज्य का उद्यम' तथा 'दूसरे सविधाकारी राज्य का उद्यम' शब्दों से मूलत: सविधाकारी राज्य के किसी निवासी द्वारा संचालित उद्यम और दूसरे सविधाकारी राज्य के निवासी द्वारा संचालित उद्यम अभिप्रेत है;
- (ङ) समाजवादी जन लीधियाशी अरब जमहारिया के मामले में 'सक्षम प्राधिकारी' शब्दों से अभिप्रेत है, खाता मन्त्रालय, और भारत के मामले में जिन मन्त्रालयों के

2. इस अभिसमय के प्रयोजन के लिए, 'एक सविधाकारी राज्य का निवासी' शब्दों से कोई ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिस पर उन राज्य के कानून के अन्तर्गत, उसका निवासस्थान, प्रबन्ध स्थान होंगे के कारण अथवा इस प्रकार के किसी अन्य मानदण्ड के कारण कर लगाया जा सकता है।

3. अहां तक किसी सविधाकारी राज्य द्वारा इस अभिसमय के प्रवर्तन का संबंध है, किसी शब्द का जो अत्यथा परिभाषित नहीं हुआ हो, संदर्भ की अत्यथा अपेक्षा नहीं होने पर वही अर्थ होगा जो उन सविधाकारी राज्य के उन करों से संबंधित कानूनों के अन्तर्गत होता है जो इस अभिसमय के विषय हैं।

अनुच्छेद 3

कर स्थान

इस अभिसमय के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रतीक डाले बिना, किसी ध्राय का कर स्थान वह सविधाकारी राज्य समझा जायगा जिनमें ध्राय उत्पन्न होती है ?

अनुच्छेद 4

स्थायी स्थापन

1. इस अभिसमय के प्रयोजन के लिए, 'स्थायी पत्र स्थापन' से कागे वार या वह निर्दिष्ट स्थान अभिप्रेत है, जहां उद्यम का कारोबार सम्पूर्णत: अथवा अंशत: चलाया जाता है।

2. 'स्थायी स्थापन' शब्दों में विद्यमान निम्नलिखित शामिल होंगे

- (क) प्रबन्ध का स्थान
 - (ख) शाखा
 - (ग) कार्यालय
 - (घ) कारखाना
 - (ङ) कर्मशाला
 - (च) खान, खदान अथवा प्राकृतिक संसाधनों के निष्कर्षण का अर्थ स्थान;
 - (छ) भवन अथवा भवन स्थल जो तीन महीने से अधिक की अवधि के लिए चालू रहता हो।
3. 'स्थायी स्थापन' शब्दों में निम्नलिखित जो शामिल नहीं माना जायगा :

- (क) उद्यम के मान अथवा पणों के केवल अण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजन के लिए सुविधाओं का प्रयोग;
- (ख) उद्यम से संबंधित मान अथवा पणों के अण्डारण अथवा प्रदर्शन के प्रयोजनार्थ स्टाक रखना;
- (ग) किन्हीं अन्य उद्यम द्वारा संचालित करने के अर्थ उद्यमार्थ उद्यम के साथ अथवा पणों का लेना रहना;
- (घ) उद्यम के लिए अन्ध कर से मान अथवा पणों को करने, अथवा चुकाना एकत्र करने के निश्चित स्थान का अधुश्रम
- (ङ) उद्यम के सम्बन्ध में निरूपण, सूचना के हसी प्रकार अथवा

राज्य में उन उद्यम को उस स्थिति में स्थायी स्थापन माना जावेगा जब उन व्यक्ति को उस राज्य में उन उद्यम के नाम से संविदा करने का प्राधिकार प्राप्त हो, और वह उसका नियमित रूप से प्रयोग करना हो, जब तक कि उसके क्रियाकलाप उस उद्यम के लिए माल अथवा पण्य के क्रय तक के सीमित नहीं हों।

5 एक संविदाकारी राज्य के उद्यम का अन्य संविदाकारी राज्य में मात्र इस कारण से स्थायी स्थापन नहीं माना जाएगा कि वह उस दूसरे राज्य में किसी बलाल, सामान्य कमीशन एजेंट अथवा स्वतन्त्र हिसियत वाले किसी अन्य एजेंट के माध्यम से कारोबार करता है, जहाँ ऐसे व्यक्ति अपने कारोबार का काम सामान्यरूप में कर रहे हों।

6 इस तथ्य से कि कोई कम्पनी या किसी सविदाकारी राज्य की निवासी है, किसी ऐसी कम्पनी का नियंत्रण करता है अथवा उसके द्वारा नियंत्रित होता है जो दूसरे संविदाकारी राज्य की निवासी है अथवा उस दूसरे संविदाकारी राज्य में चाहे किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से अथवा अन्यथा व्यापार चलाती है, उन दोनों कम्पनियों में से कोई भी कम्पनी स्वतः उस दूसरी कम्पनी का स्थायी स्थापन नहीं बन जायेगी।

अध्याय—III

प्राय का करारधान

अनुच्छेद 5

अचल सम्पत्ति से प्राय

1. 'अचल सम्पत्ति' से प्राप्त हुई प्राय पर कर, उस संविदाकारी राज्य में लगाया जाए, जिसमें ऐसी सम्पत्ति स्थित है।

2. 'अचल सम्पत्ति' पर की परिभाषा, उस संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार की जायेगी जिस राज्य में वह सम्पत्ति स्थित हो।

अनुच्छेद 6

कारोबार से लाभ

1. किसी संविदाकारी राज्य के उद्यम के लाभों पर उस राज्य में कर लगाया जाएगा जिस में वह उद्यम स्थित है और उस राज्य में भी जहाँ इसका स्थायी स्थापन है, परन्तु ऐसे मामले में कर की रकम उन लाभों तक सीमित होगी जो उस स्थायी स्थापन के कारण हुए हों।

2. जहाँ किसी संविदाकारी राज्य का कोई उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य में स्थित किसी स्थायी स्थापन के माध्यम से कारोबार करता है; वहाँ प्रत्येक संविदाकारी राज्य में उस स्थायी स्थापन के कारण उसको उन लाभों का हिस्सा माना जाएगा जिनके प्राप्ति होने की तब प्रतीक्षा रहती, जब वह उन्हीं अथवा वैसी ही परिस्थितियों के अन्तर्गत उन्हीं अथवा वैसी ही कार्यों में लगा हुआ कोई निषिद्ध तथा अलग उद्यम होता, और जिस उद्यम का वह स्थायी स्थापन है, उसके साथ पूर्णतः स्वतंत्र रूप से व्यवहार करता होता।

3. किसी स्थायी स्थापन के लाभ के निर्धारण में ध्यान की उन रकमों की कटौती की स्वीकृति दी जाएगी जो स्थायी स्थापन के प्रयोजनार्थ किये गये हैं। फिर चाहे व उस राज्य में किए गये हों जहाँ स्थायी स्थापन स्थित है अथवा अन्यथा। यह स्वीकृति उस राज्य के विनियमों के अनुसार दी जायेगी जिस राज्य में वह प्राय कराये गये हों।

4. कोई भी लाभ इसी कारण से किसी स्थायी स्थापन को वजह से नहीं हुए माने जाएंगे कि उस स्थापन के उद्यम के लिए माल अथवा पण्य वस्तुएं खरीदी हैं।

5. पूर्ववर्ती पैराग्राफों के प्रयोजनों के लिए, स्थायी स्थापन के कारण माने जाने वाले लाभों का तब तक उन्हीं पद्धति से वर्षानुवर्ष निर्धारित किया जाएगा, जब तक कि उनके विरुद्ध कोई उपयुक्त तथा पर्याप्त कारण नहीं हो।

6. जहाँ लाभों में प्राय को नहीं शामिल है जिसे इस कानून के अन्य अनुच्छेदों में अलग से विवेचन किया गया है, तब उन अनुच्छेदों के उपबन्ध इस अनुच्छेद के उपबन्ध से प्रभावित नहीं होंगे।

अनुच्छेद 7

जहाजरानी और विमान-परिवहन

अन्तर्राष्ट्रीय यातायात में पाँतों अथवा विमानों के चालन से प्राप्त हुए लाभों पर कर केवल उस संविदाकारी राज्य में ही लगेगा जहाँ उस उद्यम की कारगर प्रबन्ध व्यवस्था का स्थापन स्थित है।

अनुच्छेद 8

सम्बद्ध उद्यम

जहाँ:

(क) एक संविदाकारी राज्य का उद्यम दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध नियंत्रण अथवा पूँजा में, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेता है, अथवा

(ख) वे ही व्यक्ति एक संविदाकारी राज्य के उद्यम और दूसरे संविदाकारी राज्य के उद्यम के प्रबन्ध नियंत्रण अथवा पूँजा में प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः भाग लेते हों; और दोनों में से किसी के भी मामले में दोनों उद्यमों के बीच उनके वाणिज्यिक अथवा वित्तीय सम्बन्धों के बारे में ऐसी शर्तें रखी अथवा लगाई जाती हों जो उन शर्तों से भिन्न हों जो स्वतंत्र उद्यमों के बीच रखी जाती हों, वहाँ ऐसा कोई लाभ जो उन शर्तों के नहीं होने का हानन में उन उद्यमों में से एक उद्यम को प्राप्त होता, परन्तु उन शर्तों के कारण प्राप्त नहीं हुआ तो वह लाभ उस उद्यम के लाभों में सम्मिलित किया जा सकता है और उस पर एतदनुसार कर लगाया जा सकता है।

यह बात समझ ली जानी चाहिए कि इस सम्बन्ध में प्रत्येक संविदाकारी राज्य के अपने-अपने कानूनों में उपलब्ध कार्य-विधियाँ लागू होंगी।

अनुच्छेद 9

लाभों

1. जो कम्पनी संविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य में पंजीकृत है उसके द्वारा अथवा किये गये लाभों पर कर उसी राज्य में लगाया जाए।

2. 'लाभों' शब्द की परिभाषा उस संविदाकारी राज्य के कानून के अनुसार की जाएगी जिस राज्य में वह कम्पनी पंजीकृत है।

अनुच्छेद 10

व्याज

1. एक संविदाकारी राज्य में उत्पन्न होने वाले तथा दूसरे संविदाकारी राज्य के निवासी को अथवा किये जाने वाले व्याज पर कर उसी संविदाकारी राज्य में लगाया जाएगा अर्थात् वह उत्पन्न होता है।

2. पैराग्राफ 1 के उपबन्ध उस स्थिति में लागू नहीं होंगे जब व्याज प्राप्तकर्ता एक संविदाकारी राज्य का निवासी होने हुए दूसरे संविदाकारी राज्य में, जिसमें व्याज उत्पन्न होता है, कोई ऐसा स्थायी स्थापन रखता हो जिसके साथ इस तरह का अलग-थलग क्रिससे व्याज उत्पन्न होता है वास्तविक रूप में सम्बद्ध हो। ऐसे मामले में अनुच्छेद 6 के उपबन्ध लागू होंगे।

3. व्याज, किसी संविदाकारी राज्य में उद्भूत हुआ नहीं माना जाएगा जब व्याज अदा करने वाला स्वयं संविदाकारी राज्य, कोई राजनीतिक उप-प्रभाग, कोई स्थानीय प्राधिकरण अथवा उस राज्य का कोई निवासी हो।

अनुच्छेद 11**रायल्टियाँ**

1 एक सविदाकारी राज्य में उद्भूत होने वाली रायल्टियाँ उसी राज्य में कराधेय होंगी।

2 इस अनुच्छेद में यथाप्रयुक्त 'रायल्टियाँ' शब्द से साहित्यिक, कलात्मक अथवा वैज्ञानिक कृति, किसी पेटेंट, व्यापार-चिह्न, डिजाइन अथवा माहल, योजना, गुप्त फार्मूला अथवा प्रक्रिया के प्रयोग, अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा वैज्ञानिक उपकरण के प्रयोग अथवा प्रयोग-धिकार के प्रतिफल के रूप में अथवा औद्योगिक, वाणिज्यिक या वैज्ञानिक या वैज्ञानिक अनुभव में संचित जानकारी के लिए किसी भी प्रकार की श्रद्धा योगी अभिप्रेत है।

3 इस अनुच्छेद में यथा प्रयुक्त 'रायल्टियों' शब्द में खलवित किन्हीं से संबंधित किरायें और अन्य आय शामिल नहीं हैं। ऐसे किरायों और आय को इस समझौते के प्रयोजनार्थ, कारोबार में प्राप्त हुआ लाभ समझा जाए।

अनुच्छेद 12**स्वतंत्र अतिरिक्त सेवाएँ**

1 एक सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को व्यावसायिक सेवाओं अथवा इसी प्रकार के अन्य कार्यकलापों के सम्बन्ध में प्राप्त हुई आय तब तक केवल उसी राज्य में ही कराधेय होगी जब तक कि अपने कार्यकलापों को पूरा करने के प्रयोजन के लिए दूसरे सविदाकारी राज्य में उसे कोई निश्चित आधार नियमित रूप से उपलब्ध नहीं हो; यदि उसके पास ऐसा कोई निश्चित आधार हो तो उसकी आय पर दूसरे सविदाकारी राज्य में कर लग सकता है, परन्तु केवल उसी आय पर ही कर लगेगा जितनी कि उस निश्चित आधार के कारण हुई हो।

2 प्रत्येक सविदाकारी राज्य में लागू कानूनों और विनियमों के अनुसार, "व्यावसायिक सेवा" शब्दों का अर्थ स्वतंत्र कार्य-कलाप है।

अनुच्छेद 13**पराधित वैयक्तिक सेवाएँ**

सविदाकारी राज्यों में से एक राज्य में उत्पन्न होने वाले वेतन, भूगूरी तथा इसी प्रकार की पारिश्रमिकों पर कर उस राज्य में लगेगा जहाँ उस आय को उत्पन्न करने वाली सेवाएँ निष्पादित की गई हों, परन्तु यदि ऐसी आय अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के क्षेत्र में चल रही किसी, जलपीत अथवा वायुपान पर किये गये कार्य में प्राप्त होती हो, उस पर केवल अन्वेषण के लिए कर लग सकता है, जहाँ उद्यम के प्रभावी संबंध का स्थान स्थित हो।

अनुच्छेद 14**निर्देशक शुल्क**

सविदाकारी राज्य के निवासी द्वारा किसी ऐसी कंपनी के निर्देशक-मण्डल के एक सदस्य की हस्तियत में जो दूसरे सविदाकारी राज्य का निवासी है, प्राप्त निर्देशक की फीस तथा इसी प्रकार की अर्थायुक्तियों पर उस दूसरे राज्य में कर लगा सकेगा।

अनुच्छेद 15**कलाकार और खिलाड़ी**

अनुच्छेद 12 और 13 के उपबन्धों के होने हुए भी, लोक मनोरंजन-कर्ताओं जैसे, चिरोटन, रेडियो, अथवा दूरदर्शन कलाकार तथा संगीतकार और खिलाड़ियों को अपने वैयक्तिक कार्यों में प्राप्त आय पर उस सविदाकारी राज्य में कर लग सकेगा। जिसमें ऐसे कार्य किये गये हों।

अनुच्छेद 16**पेंशन**

सविदाकारी राज्य के किसी निवासी को विरात के नियोजन के प्रतिफल के रूप में भुगतान की गई पेंशन और ऐसी ही अन्य प्राग पर उस राज्य में ही कर लग सकेगा।

अनुच्छेद 17**सरकारी कार्य प्रत्येक सेवा**

सविदाकारी राज्य में से किसी एक सविदाकारी राज्य की सरकार द्वारा किसी व्यक्ति, को, सरकारी कार्यों के निर्वहन में उस सरकार के लिए की गई सेवाओं के संबंध में अदा किये गये पारिश्रमिक पर दूसरे राज्य में कर से उम रिक्त में छूट दी जाएगी जब वह व्यक्ति उस अन्य राज्य का निवासी नहीं हो अथवा वे सेवाएँ प्रदान करने के उद्देश्य से ही उस अन्य राज्य का निवासी हो, परन्तु यहाँ यह भी है उस व्यक्ति को उस सविदाकारी राज्य की राष्ट्रियता प्राप्त हो।

2 इस अनुच्छेद का उपबन्ध, दोनों राज्यों में से किसी भी एक राज्य की सरकार द्वारा लाभ के प्रयोजनार्थ किये गये किसी व्यवसाय अथवा कारोबार के सम्बन्ध में की गई सेवाओं के बारे में की गई अर्थायुक्तियों पर लागू नहीं होगा।

3 इस अनुच्छेद में "सरकार" शब्द में सरकारी निगम और ऐसे ही अन्य समराज्य निकाय शामिल समझे जायेंगे।

अनुच्छेद 18**बिद्यार्थी**

1 कोई बिद्यार्थी अथवा व्यवसाय प्रशिक्षु, जो एक सविदाकारी राज्य का निवासी हो अथवा पहले निवासी रहा हो, और जो अन्य सविदाकारी राज्य में अनन्य रूप से अपनी शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के उद्देश्य से उपस्थित हो और वह अपने भरण पोषण, शिक्षा अथवा प्रशिक्षण के प्रयोजन के लिए अर्थायुक्तियाँ प्राप्त करता हो तो उस पर उस अन्य राज्य में कर नहीं लगेगा, बशर्ते कि उसको ऐसी अर्थायुक्तियाँ उस अन्य राज्य में वाहन के स्रोतों से की जाती हों।

2 इस अनुच्छेद के उपबन्ध उस आय पर भी लागू होंगे, जो वह बिद्यार्थी अथवा व्यवसाय प्रशिक्षु अन्य सविदाकारी राज्य में किसी नियोजन से प्राप्त करता हो, बशर्ते कि ऐसा नियोजन उसके अध्ययन अथवा प्रशिक्षण से संबंधित हो और अथवा यह कि उससे प्राप्त होने वाली आय, बिद्यार्थी अथवा प्रशिक्षु को अपनी जीवन-निर्वाह व्यय पूरा करने के लिए आवश्यक हो।

अनुच्छेद 19**प्राध्यापक, अध्यापक और अनुसंधानकर्ता**

सविदाकारी राज्यों में से किसी एक राज्य में से किसी प्राध्यापक, अध्यापक अथवा अनुसंधान-कर्ता को, जो अन्य सविदाकारी राज्य में किसी विश्वविद्यालय, कायेज अथवा उच्च शिक्षा अथवा वैज्ञानिक अनुसंधान के अन्य संस्थान में अस्थायी निवास की ऐसी अवधि के दौरान, जो तीन महीने से अधिक नहीं हो, अध्यापन अथवा अनुसंधान कार्य करने के लिए पारिश्रमिक प्राप्त करता हो, इस तरह कि पारिश्रमिक के संबंध में, उस अन्य राज्य में कर से छूट प्राप्त होगी, बशर्ते कि तीन महीने की अवधि ऐसी ही अवधियों द्वारा बढ़ाई जानी हो।

अध्याय-4

बोहरा कराधान प्रकाशना

अनुच्छेद-20

कर जमा

एक संबिदाकारी राज्य का कोई निवासी जस ऐसी आय प्राप्त करता है जिस पर अन्य संबिदाकारी राज्य में कर लगाया गया हो तो, प्रथमोक्त राज्य उस व्यक्ति की आय पर उस संबिदाकारी राज्य में लगे कर के बराबर की रकम पर कर से कटौती की मंजूरी देता है, बशर्ते कि कटौती की रकम, कटौती दिये जाने से पूर्व संगणित किये गये कर के उस भाग से अधिक नहीं होगी जो उस आय पर लागू होता है जिस पर अन्य संबिदाकारी राज्य में कर लगाया जाता है।

2. इस अनुच्छेद में लिहित किसी भी बात से, दोनों संबिदाकारी राज्यों में से किसी भी एक संबिदाकारी राज्य में, इस अनुच्छेद के उपबन्धों के अनुसार ऐसी किसी भी रकम के संबंध में उक्त राज्यों में से किसी एक राज्य में लगाये गये कर की रकम अन्य राज्य में उमके खाते पर स्वीकृत जमा से बच जाती हो, ऐसी और छूट देने में राका नहीं जाएगा, जिसे किसी भी संबिदाकारी राज्य के कानून के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित समझा जाता हो।

अध्याय-5

विशेष उपबन्ध

अनुच्छेद-21

सम-व्यवहार

1. एक संबिदाकारी राज्य के राष्ट्रिको पर दूसरे संबिदाकारी राज्य में ऐसी कोई कराधान व्यवस्था अथवा तत्सम्बन्धी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी, जो उस कराधान से और उन संबंधित अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हो, जो उस दूसरे राज्य के राष्ट्रिको पर वैसी ही परिस्थितियों में लागू होती है अथवा हो सकती है।

2. "राष्ट्रिक" शब्द का अर्थ है —

(क) वे सभी व्यक्ति, जिन्हें किसी संबिदाकारी राज्य की राष्ट्रियता प्राप्त है;

(ख) वे सभी विधिक व्यक्ति, भागीदारियों और संगठन, जिन्हें किसी संबिदाकारी राज्य में लागू कानून से ऐसी हृणियत प्राप्त है।

3. एक संबिदाकारी राज्य के उद्यम के, दूसरे संबिदाकारी राज्य में स्थायी संस्थान पर, उस दूसरे राज्य में ऐसा कराधान लागू नहीं किया जाएगा जो उस दूसरे राज्य के धैरे ही कार्य में प्रवृत्त उद्यम पर लागू होने वाले कराधान से अपेक्षाकृत कम अनुकूल हों। इस उपबन्ध का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि एक संबिदाकारी राज्य को, दूसरे संबिदाकारी राज्य के निवासियों की ऐसी नागरिक हृणियत अथवा पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कराधान के प्रयोजनों के लिए, किसी भी प्रकार की वैयक्तिक छूटे, राहतों तथा घटौतियों प्रदान करने का अधिकार प्राप्त होता है, जो वह अपने निवासियों को प्रदान करता है।

4. एक संबिदाकारी राज्य के उद्यमों पर, जिनकी पूंजी पूर्णतः अथवा अंशतः दूसरे संबिदाकारी राज्य के एक अथवा एक से अधिक निवासियों, प्रत्यक्षतः अथवा अप्रत्यक्षतः स्वामित्व अथवा नियन्त्रण में है, प्रथमोक्त संबिदाकारी राज्य में कोई ऐसा कराधान अथवा तत्सम्बन्धी ऐसी कोई अपेक्षा लागू नहीं की जाएगी; जो उस कराधान और तत्सम्बन्धी अपेक्षाओं से भिन्न अथवा अधिक भारपूर्ण हों, जो उस प्रथमोक्त राज्य के अन्य धैरे ही उद्यमों पर लागू होती है, अथवा हो सकती है।

अनुच्छेद-22

पारस्परिक करार कार्यविधि

1. जहाँ किसी एक संबिदाकारी राज्य का निवासी वह समझता है कि एक अथवा दोनों संबिदाकारी राज्यों के कार्यों के कारण उस पर जो कर लगाया जाता है अथवा लगाया जाएगा, वह हम समझौते के अनुरूप नहीं है, तो वह उन राज्यों के राष्ट्रिय कानूनों द्वारा उपबन्धित उपाचारों के होते हुए भी, अपना मामला उस संबिदाकारी राज्य के मक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत कर सकता है जिसका कि वह निवासी है।

2. यदि मक्षम प्राधिकारों को आपत्ति उचित लगे और यदि वह न्यय किसी उपयुक्त हल पर पहुँचने में असमर्थ होता वह ऐसे कराधान के निवारण की दृष्टि में, जो हम समझौते के अनुरूप नहीं है, दूसरे संबिदाकारी राज्य के मक्षम प्राधिकारों की परम्पर सहमति द्वारा उस मामले को हल करने का प्रयास करेगा।

3. इस समझौते का व्याख्या करने अथवा इसे लागू करने में यदि कोई कठिनाइया अथवा शकाए उत्पन्न हो, तो संबिदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारों उन्हें पारस्परिक सहमति से हल करने का प्रयास करेंगे। वे उन मामलों में दोहरे कराधान के प्रकाशना के लिए, परस्पर विचार-विमर्श कर सकते हैं अथवा समझौते में व्यवस्था नहीं है।

4. पूर्वोक्त पैराग्राफों के अभिप्राय के अन्तर्गत सहमति के प्रयोजनार्थ संबिदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारों एक दूसरे के साथ मीधे पत्र-व्यवहार कर सकते हैं। सहमत होने की दृष्टि में जब विचारों का मौखिक आदान-प्रदान उचित प्रतीत होता हो तो ऐसा आदान-प्रदान किसी ऐसे आयोग के माध्यम से किया जा सकता है, जिसका गठन संबिदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारियों के प्रतिनिधियों की सम्मिलित करके हुआ हो।

अनुच्छेद-23

सूचना का आदान-प्रदान

1. संबिदाकारी राज्यों के मक्षम प्राधिकारों ऐसी सूचना का आदान-प्रदान करेंगे जो इस समझौते की कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक है और जहाँ तक इस समझौते के अनुसार उसके अधीन आने वाले कराधान का सम्बन्ध है, संबिदाकारी राज्यों के करों से सम्बन्धित राज्य के कानून हम समझौते के अन्तर्गत आ जाते हैं। ऐसे करों के राजस्व अपवर्धन को रोकने के लिए आवश्यक सूचना का भी आदान-प्रदान किया जाएगा, जो इस समझौते के विषय है। इस प्रकार आदान-प्रदान की गई किसी भी सूचना की गुप्त समझा जाएगा तथा उसे ऐसे करों के निर्धारण अथवा अपूर्णता से सम्बन्धित अधिकारियों को छोड़कर किसी भी अन्य व्यक्ति या प्राधिकारों को प्रकट नहीं किया जाएगा, जो हम समझौते के विषय है।

2. किसी भी स्थिति में पैराग्राफ 1 के उपबन्धों का वह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि किसी संबिदाकारी राज्य पर निम्नलिखित भार डाला जायः

(क) एक अथवा दूसरे संबिदाकारी राज्य की विधियों अथवा प्रशासनिक प्रथा से हटकर प्रशासनिक उपाय करना,

(ख) ऐसे व्योरे देना जो एक अथवा दूसरे संबिदाकारी राज्य की विधियों के अन्तर्गत अथवा प्रशासन की सामान्य विधि में प्राप्य नहीं है;

(ग) ऐसी सूचना देना, जिससे कोई व्यापारिक, व्यावसायिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक अथवा राजगार सम्बन्धी गुप्त भेद अथवा व्यापारिक प्रशिक्षा अथवा सूचना प्रकट होती हो, जिनको प्रकट करना सरकार की नीति के प्रतिकूल हो।

अनुच्छेद-24

राजनयिक और कौंसली अधिकारी

अन्तर्राष्ट्रीय विधि के सामान्य नियमों के अन्तर्गत अथवा विशेष करारों के प्रावधानों के अन्तर्गत इस करार से राजनयिक अथवा कौंसली अधिकारियों के राज्य-कर विषयक विशेषाधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अध्याय-6

उपसंहार

अनुच्छेद-25

लागू होने की तारीख

यह समझौता, संश्लेषों के आवान-प्रवान की सम्पुष्टि की तारीख में लागू होगा तथा इसके उपबन्ध उक्त सम्पुष्टि के बाद प्रारम्भ होने वाले कर वर्ष से लागू होने।

संविदाकारी राज्य के राष्ट्रीय कानूनों में किसी प्रकार की समय सीमाओं के होते हुए भी यदि कोई करार होता है तो उसे लागू किया जाएगा।

अनुच्छेद-26

समाप्ति

जब तक संविदाकारी राज्यों में से किसी एक संविदाकारी राज्य द्वारा इसके भवमान की घोषणा नहीं कर दी जाती तब तक यह समझौता लागू रहेगा। इस करार के लागू होने के पांच वर्षों बाद प्रारम्भ होने वाले किसी कैलेंडर वर्ष की समाप्ति से कम से कम 6 महीने पहले, कोई भी संविदाकारी राज्य, राजनयिक माध्यम से समाप्ति का नोटिस देकर इस समझौते के भवमान की घोषणा कर सकता है। ऐसी स्थिति में, इस समझौते की उस कैलेंडर वर्ष की समाप्ति के बाद से समान समझा जाएगा जिसके दौरान एक संविदाकारी राज्य द्वारा दूसरे संविदाकारी राज्य को समझौते के भवमान का नोटिस दिया गया हो।

ऊपर हुए करार के साथ में, हस्ताक्षरकर्तृओं ने, उनकी अपनी अपनी सरकारों द्वारा इस प्रयोजन के लिए उन्हें दिए गए प्राधिकार के आधार पर इस समझौते पर आज हस्ताक्षर किए हैं।

त्रिपोली में 2 मार्च वर्ष 1981 के मास के दिन को अंग्रेजी, हिन्दी तथा अरबी भाषाओं में दो-दो प्रतियों में किया गया, इसके सभी पाठ समानतः प्रामाणिक होंगे, परन्तु मदेह की स्थिति में अंग्रेजी पाठ ही प्रभावी होगा।

नरेन्द्र सिंह
भारत गणराज्य की सरकार
की ओर से

धम्मर सामी घातिया
समाजवादी जन लीगियायी अरब
जमहूरिया की सरकार की ओर से

[सं० 501/17/73-एफ० टी० डी०]

र० रा० खोमसा, सयुक्त मन्त्रिय

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

Foreign Tax Division

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st July, 1982

INCOME-TAX

G.S.R. 484(E).—Whereas the annexed Convention between the Socialist Peoples Libyan Arab Jamahiriya and the Government of the Republic of India for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to

taxes on income has been ratified and the instruments of ratification exchanged as required by Article 25 of the said Convention;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 90 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) and section 24A of the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964), the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Convention shall be given effect to in the Union of India.

CONVENTION

BETWEEN

THE SOCIALIST PEOPLES LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA
AND
THE GOVERNMENT OF REPUBLIC OF INDIA

FOR

THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE
PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO
TAXES ON INCOME

CHAPTER I

SCOPE OF THE CONVENTION

ARTICLE 1

Taxes Covered

1. This Convention shall apply to taxes on income imposed on behalf of each Contracting State or local authorities, irrespective of the manner in which they are levied.

2. They shall be regarded as taxes on income all taxes imposed on total income, or on elements of income.

3. The existing taxes to which this Convention shall apply are :

A. With regard to the Socialist Peoples Libyan Arab Jamahiriya

(i) Real Estate Revenue Tax

(ii) Agricultural Revenue Tax.

(iii) Taxes on Commercial, Industrial and Professional profits, which comprise—

(a) taxes on profits realised from commercial, industrial and professional activities;

(b) taxes on Companies.

(iv) Taxes on profits realised by practising Fee Professions

(v) Taxes on wages, salaries and the like.

(vi) Taxes on Income realised abroad.

(vii) General Tax on Income.

(viii) Al-Jihad Tax (Defence Tax)

(ix) Income arising from depositing money in banks and savings accounts.

B. With regard to the Republic of India.

(i) The Income-tax including any surcharge thereon imposed under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961);

(ii) The surtax imposed under the Companies (Profits) Surtax Act, 1964 (7 of 1964).

4. The Convention shall also apply to any identical or substantially similar taxes which are subsequently imposed in addition to, or in place of, the existing taxes. At the end of each year, the competent authorities of the Contracting States shall notify to each other any changes which have been made in their respective taxation laws.

CHAPTER II

DEFINITIONS

ARTICLE 2

General Definitions

1. In this Convention, unless the context otherwise requires :

- (a) the terms "a contracting State" and "the other Contracting State" mean 'India' or 'Libya', as the context requires;
- (b) the term "person" comprises an individual, a company and any other body of persons;
- (c) the term "Company" means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes.
- (d) the terms "enterprise of a Contracting State" and "enterprise of the other Contracting State" mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise by a resident of the other Contracting State ;
- (e) the term "competent authority" with respect to the Socialist Peoples Libyan Arab Jamahiriya means the Ministry of Treasury, and with respect to India means the Ministry of Finance (Department of Revenue).

2. For the purposes of this Convention, the term "resident of a Contracting State" means any person who, under the law of that State, is liable to taxation therein by reason of his domicile, resident, place of management or any other criterion of a similar nature.

3. As regards the application of the Convention by a Contracting State any term not otherwise defined shall, unless the context otherwise requires, have the meaning which it has under the laws of that Contracting State relating to the taxes which are the subject of the Convention.

ARTICLE 3

The Tax Home

Without prejudice to the provisions of this Convention, the Tax Home of any income shall be deemed to be the Contracting State in which the income arises.

ARTICLE 4

Permanent Establishment

1. For the purposes of this Convention, the term "permanent establishment" means a fixed place of business in which the business of the enterprise is wholly or partly carried on.

2. The term "permanent establishment" shall include especially :

- (a) a place of management.
- (b) a branch
- (c) an office
- (d) a factory
- (e) a workshop
- (f) a mine, quarry or other place of extraction of natural resource.
- (g) a building or building site which continues for a period of more than three months.

3. The term "permanent establishment" shall not be deemed to include :

- (a) the use of facilities solely for the purpose of storage and display of goods or merchandise belonging to the enterprise;
- (b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage and display;
- (c) the maintenance of stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by any other enterprise;

(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise, or for collecting information, for the enterprise;

(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of advertising, for the supply of information, for scientific research or for similar activities which have a preparatory or auxiliary character, for the enterprise.

4. A person acting in a Contracting State on behalf of an enterprise of the other Contracting State other than an agent of an independent status to whom paragraph 5 applies—shall be deemed to be a permanent establishment in the first-mentioned State if he has, and habitually exercises in that State, an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, unless his activities are limited to the purchase of goods or merchandise for the enterprise.

5. An enterprise of a Contracting State shall not be deemed to have a permanent establishment in the other Contracting State merely because it carries on business in that other State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, where such persons are acting independently in the ordinary course of their business.

6. The fact that a company which is a resident of a contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise) shall not itself constitute for either company a permanent establishment of the other.

CHAPTER III

TAXATION OF INCOME

ARTICLE 5

Income from Immovable Property

1. Income from immovable property may be taxed in the contracting State in which such property is situated.

2. The term "immovable property" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the property in question is situated.

ARTICLE 6

Business Profits

1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable in the State where the enterprise is situated and also in the State where it has a permanent establishment, in which case, the tax shall be limited to the profits attributable to the permanent establishment.

2. Where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar condition and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment.

3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed as deduction expenses which are incurred for the purpose of the permanent establishment whether such expenses have been incurred in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere in accordance with regulations of the State in which the income is taxable.

4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.

5. For the purpose of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.

6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.

ARTICLE 7**Shipping and Air Transport**

Profits from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in the Contracting State in which the place of effective management of the enterprise is situated.

ARTICLE 8**Associated Enterprises**

Where :

- (a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
- (b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State, and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations which differ from those which would be made between independent enterprises, then any profits which would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, have not so accrued, may be included in the profits of that enterprise and taxed accordingly.

It is to be understood that the procedures available in the respective laws of each Contracting State in this regard shall be applied.

ARTICLE 9**Dividends**

1. Dividends paid by a Company which is registered in one of the Contracting States may be taxed in that State.
2. The term "dividends" shall be defined in accordance with the law of the Contracting State in which the company in question is registered.

ARTICLE 10**Interest**

1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in the Contracting State where it arises.
2. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the recipient of the interest, being a resident of a Contracting State, has in the other Contracting State in which the interest arises a permanent establishment with which the debt-claim from which the interest arises is effectively connected. In such a case, the provisions of Article 6 shall apply.
3. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is that State itself, a political subdivision, a local authority or a resident of that State.

ARTICLE 11**Royalties**

1. Royalties arising in a Contracting State may be taxable in that State.
2. The term "royalties" as used in this Article means payments of any kind as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright of literary, artistic or scientific work, any patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process of for the use of the right to use, industrial, commercial, or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience.
3. The term "royalties" as used in this Article shall exclude rentals and other income in respect of cinematographic films. Such rentals and income shall, for the purpose of this Convention, be considered the profits from business.

ARTICLE 12**Independent Personal Services**

1. Income derived by a resident of a Contracting State in respect of professional services or other independent activities of a similar character shall be taxable only in that State unless he has a fixed base regularly available to him in the other Contracting State for the purpose of performing his activities. If he has such a fixed base, the income may be taxed in the other Contracting State but only so much of it as is attributable to that fixed base.

2. The term "professional services" means independent activities according to the laws and regulations in force in each Contracting State.

ARTICLE 13**Dependent Personal Services**

Salaries, wages and similar emoluments arising in one of the Contracting States may be taxable in the State where the services giving rise to that income are performed but if such income is realised from work carried out on a ship or aircraft operating in the field of international transport, it shall only be taxable in the State where the place of effective management of the enterprise is situated.

ARTICLE 14**Directors' Fees**

Directors' fees and similar payments derived by a resident of a Contracting State in his capacity as a member of the Board of Directors of a Company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.

ARTICLE 15**Artists and Athletes**

Notwithstanding the provisions of Articles 12 and 13, income derived by public entertainers, such as theatre, motion picture, radio or television artists and musicians, and by athletes, from their personal activities as such may be taxed in the Contracting State in which these activities are exercised.

ARTICLE 16**Pensions**

Pensions and other similar income paid to a resident of Contracting State in consideration of past employment shall be taxable only in that State.

ARTICLE 17**Government Functions/Civil Service**

1. Remuneration paid by the Government of one of the Contracting States to any individual for services rendered to that Government in the discharge of governmental functions shall be exempt from tax in other State if the individual is not resident in that other State or is resident in other State solely for the purpose of rendering those services so provided however, that such an individual has the nationality of that Contracting State.

2. The provision of this Article shall not apply to payments in respect of services rendered in connection with any trade or business carried on by either of the Government for purposes of profit.

3. In this Article, "Government" shall be deemed to include public corporations and any other similar parastatal bodies.

ARTICLE 18**Students**

1. Payments which a student or business apprentice who or was formerly a resident of a Contracting State and who is present in the other Contracting State solely for the purpose

of his education or training receives for the purpose of his maintenance, education or training shall not be taxed in that other State, provided that such payments are made to him from sources outside that other State.

2. The provision of this Article shall also apply to the income which the student or business apprentice may derive from an employment in the other Contracting State : provided that such employment is related to his study or training and/or that the income deriving therefrom is required by the student or trainee to meet his living expenses.

ARTICLE 19

Professors, Teachers and Researchers

A professor, teacher or research worker from one of the Contracting States who receives remuneration for teaching or carrying out research work during a period of temporary residence not exceeding three months at a university, college or other institute of higher education or scientific research in the other Contracting State shall be exempt from tax in that other State, in respect of that remuneration, provided that the period of three months may be extended by similar periods.

CHAPTER IV

Elimination of Double Taxation

ARTICLE 20

Tax Credits

1. When a resident of a Contracting State derives income which has also suffered tax in the other Contracting State, the first mentioned State shall allow a deduction from its tax on the income of that person equal to the tax in the other Contracting State : provided that the deduction shall not exceed that part of the tax, as computed before the deduction is given which is applicable to the income taxed in the other Contracting State.

2. Nothing in this Article contained shall prevent the granting of such further relief as may be appropriate under the provisions of the law of either Contracting State in respect of any amount by which the tax in case of the States exceeds the credit allowed on its account in the other State in accordance with the provisions of this Article.

CHAPTER V

SPECIAL PROVISIONS

ARTICLE 21

New Discrimination

1. The nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances are or may be subjected.

2. The term "national" means :

- all individuals possessing the nationality of a Contracting State;
- all legal persons, partnerships and associations deriving their status as such from the law in force in a Contracting State.

3. The taxation of a permanent establishment which an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities. The provision shall not be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities which it grants to its own residents.

4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first mentioned Contracting State to any taxation or any requirements connected therewith which is other or more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises of that first-mentioned State are or may be subjected.

ARTICLE 22

Mutual Agreement Procedure

1. Where a resident of a Contracting State considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for him in taxation not in accordance with this Convention he may, notwithstanding the remedies provided by the national laws of those States, present his case to the competent authority of the Contracting State of which he is a resident.

2. The competent authority shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at an appropriate solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention.

3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.

4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs. When it seems advisable in order to reach agreement to have an oral exchange of opinions, such exchange may take place through a Commission consisting of representatives of the competent authorities of the Contracting States.

ARTICLE 23

Exchange of Information

1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is necessary for the carrying out of this Convention and of the domestic laws of the Contracting States concerning taxes covered by this Convention in so far as the taxation thereunder is in accordance with this Convention. Information shall also be exchanged as is necessary for the prevention of fiscal evasion of taxes which are the subject of this Convention. Any information so exchanged shall be treated as secret and shall not be disclosed to any persons or authorities other than those concerned with the assessment or collection of the taxes which are the subject of the Convention.

2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be constituted so as to impose on one of the Contracting States the obligation :

- to carry out administrative measures at variance with the laws or the administrative practice of that or of the other Contracting State;
- to supply particulars which are not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State;
- to supply information which would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy.

ARTICLE 24

Diplomatic and Consular Officials

Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of diplomatic or consular officials under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

ARTICLE 25

Entry Into Force

The Convention shall enter into force upon the exchange of instruments of ratification and its provisions shall have effect from the tax year commencing after the said ratification.

Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the national laws of the Contracting State.

ARTICLE 26

Termination

This Convention remains in force until denounced by one of the Contracting States. Either Contracting State may denounce the Convention through diplomatic channels by giving notice of termination at least 6 months before the end of any calendar year beginning 5 years after the agreement enters into force. In such event the Convention shall cease to have effect after the end of the calendar year during which notice of the denouncing of the Convention is given by one Contracting State to the other.

In witness of the agreement reached as above, the signatories have today signed this Convention in virtue of the

authority delegated to them for this purpose by their respective Governments.

Done in duplicate at THIPOLI, on 2nd March 1981 corresponding to 25 Rabiul Akhar 1390 P.D. in the English, Hindi and Arabic languages, all texts being equally authoritative except in the case of doubt, the English text shall prevail.

Sd/-

NARENDRA SINGH,

Ambassador of India.

Sd/-

AMMAR SASI ATIYA,
Director General, Taxation
Socialist Peoples Libyan Arab
Jamahiriya.

[F. No. 501/17/73-FTD]

R. R. KHOSLA, Jt. Secy.